न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या – 16/2026

उनवान

प्रार्थीगण

1.श्रीमती रेखा पत्नी श्री हीराराम जाति जाट निवासी भाचभर तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण

1.श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह
2.श्री श्यामसिंह पुत्र श्री कमलसिंह
3.श्री हमीरसिंह पुत्र श्री कमलसिंह
4.श्री हरीसिंह पुत्र श्री कमलसिंह
5.श्री हाथीसिंह पुत्र श्री कमलसिंह
6.श्री रेंवतसिंह पुत्र श्री कमलसिंह
7.श्री वीरसिंह पुत्र श्री कमलसिंह
8.श्रीमती उगमकंवर पत्नी श्री कमलसिंह
9.श्रीमती कमलकंवर पत्नी श्री पदमसिंह
10.श्री जसवंतसिंह पुत्र श्री पदमसिंह
11.श्री रेंवतसिंह पुत्र श्री पदमसिंह
12.श्रीमती लेहरकंवर पत्नी श्री बागसिंह
13.श्री गिरधरसिंह पुत्र श्री बागसिंह
14.श्री तनसिंह पुत्र श्री नारसिंह
15.श्री राणकंवर पत्नी नारसिंह
16.श्री पांचराजसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह
17.श्री बाबूसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
18.श्री रतनसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह
19.श्रीमती मोरकंवर पत्नी श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी भाचभर तहसील रामसर जिला बाडमेर।
20.श्री अनोपसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी भदरू तहसील रामसर जिला बाडमेर।
21. श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.)रामसर, जिला–बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

दिनांक :–**25.03.2026**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक **19.01.2026** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **भाचभर** पटवार मण्डल **भाचभर** , भूअनि खड़ीन के खसरा संख्या **595/278** रकबा **1.9425** हेक्टयर,किस्म भूमि बा.सो. उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 20 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया [illegible] अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **भाचभर** पटवार मण्डल **भाचभर** , भूअनि खड़ीन के खसरा संख्या **595/278** रकबा **1.9425** हेक्टयर भूमि बा.सो भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र में कमिश्नर नियुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.04 15:58:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रामसर

Scanned with OKEN Scanner

किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरें के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक **25.02.2026** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

25/3/2026

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर
दिनांक : 25/3/2026

क्रमांक : रीडर/2026/230-33

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/रामसर।
3. प्राथीर्नी श्रीमती रेखा पत्नी श्री हीराराम
4. विप्रार्थीगण अर्जुनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह वगेराह।

25/3/2026

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.04 15:58:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner